अति तत्काल

आर टी आई मामला

सं. 14036/206/2014-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 4th अप्रैल, 2014

सेवा में,

श्रीमती कृष्ण देवी
निवासी-एफ-74-ए
लाडो सराय
दिल्ली-110030

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 05.12.2013 का आवेदन।

महोदया,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 26.03.2014 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उपयुक्त कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से आवेदक को सीधे ही अवगत कराने के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 06.01.2014 के पत्र सं. 14036/1/2013-यू टी पी (खण्ड-III) द्वारा आपकी शिकायत पहले ही दिल्ली पुलिस को अंतरित की जा चुकी है। इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका आर टी आई आवेदन दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अंतरित किया जा रहा है।

313

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी)), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

चित्रा नारायण

(चित्रा नारायण)

अवर सचिव (डी पी-I)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

Issued
580/SA
4/4